आज यह पत्रावली पेश हुई। ... आज भ्रमण/अवकाश पर पधारे हुए हैं। अत पत्रावली वास्ते ... दिनांक 28/12/17 को पेश है।

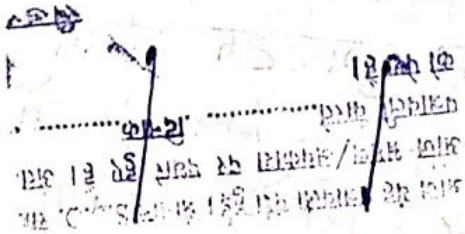

28/12/17 आज यह पत्रावली पेश हुई। श्रीमान S.D.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त / आज भ्रमण/अवकाश पर पधारे हुए हैं। अतः पत्रावली वास्ते ... दिनांक 29/5/18 को पेश है। 29/5/18

25/5/18

पत्रावली पेश हुई। वादी गोरू राम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार हाल 22 KJD द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में चक 22 KJD के मुरब्बा नम्बर 4/45 में 24.10 बीघा भूमि के अलावा किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ते के रूप में दर्ज भूमि, रास्ते के रूप में काम में नहीं आने के कारण रास्ता निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

वाद के विचारण के दौरान चक के अन्य काश्तकार नजरू खॉ वगैरह ने CPC के Order 1, Rule 10 के तहत वाद में उन्हें पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देते हुए कार्यवाही की मांग की गई।

P.T.O.

राजस्व लोक अदालत केन्द्र गुल्लुवाली में अन्य काश्तकारों के साथ मुरब्बा नम्बर 4/37 का खातेदार काश्तकार हनुमानराम (रिकॉर्ड में उक्त भूमि हनुमानराम के पिता जगनाराम के नाम दर्ज है) पुत्र जगनाराम जांगी द्वारा CPC के आदेश-7-नियम 11 में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के आवेदन के समय से पूर्व ही प्रश्नगत भूमि रास्ते के रूप में दर्ज एवं रास्ते के रूप में काम आती थी तथा चक के समस्त काश्तकार, इस भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में करते आये होने से सुखाधिकार प्राप्त हो चुके हैं अतः वादी, घोषणात्मक वाद के माध्यम से अनुतोष नहीं पा सकता है अतः वाद वादी खारिज फरमावें

स्टेट के जवाब में पैरोकार राज के उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक हित में उपयोगी व रास्ते के काम में आने पर, वाद वादी खारिज करने का प्रत्युत्तर पेश किया

हमने पत्रावली का अध्ययन किया विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी को उक्त खातेदारी भूमि मुरब्बा नम्बर 4/45 के आवंटन से पूर्व ही किला नम्बर 21 व 25 में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत था अतः सार्वजनिक रास्ते

FORM No. III

APP.A
Crim -1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी बाजू मुकाम कैम्प गुल्लुवाली

गोदाराम बनाम सरकार

नं. .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के रूप में दर्ज भूमि को गैर मुमकिन रास्ते को रिकॉर्ड से हटाने का अनुतोष प्राप्त करने का, वादी; हकदार नहीं है राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त 8(2) में जन सामान्य के उपयोग के लिए रास्ते रखने का प्रावधान है यद्यपि प्रताप सिंह बनाम दर्शनसिंह 1993 RRD 283 में आवंटन अधिकारी को existing way को cancel करने के लिए entitled माना है किन्तु हस्तगत प्रकरण में रास्ता सार्वजनिक हित के रूप में पूर्व से ही रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है तथा यदि इस रास्ते को बन्द कर दिया जाता है या रास्ते की प्रविष्टि को अभिलेख से हटा दिया जाता है तो अनुसूचित जाति का काश्तकार सुगनाराम सांसी (मु.न. 4/37 का काश्तकार) प्रभावित होगा; साथ ही अन्य काश्तकार भी प्रभावित होंगे। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है तथा वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मुरब्बा नम्बर 4/45 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ते के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज एवं मौके पर चालू रास्ते को किसी प्रकार से बन्द नहीं करे एवं ना ही जन सामान्य के आवागमन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोकने का प्रयास करे। कोर्ट रीडर, निर्णय के अनुरूप डिक्री तैयार करे। निर्णय खुले में सुनाया गया। [signature] 23/5/18 (रामेश्वर देव) SDO Khajuwala

Scanned by CamScanner